

महत्वपूर्ण/फैक्स

संख्या- 698 /1-10-2016-33(24)/2016

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, फतेहपुर, मीरजापुर एवं सोनभद्र ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 17 जून, 2016

विषय: इलाहाबाद, फतेहपुर, मीरजापुर एवं सोनभद्र में सूखे से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-प्रथम, दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-1 (ड0) में आपदा से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिए जीवन निर्वाह हेतु अहेतुक सहायता दिये जाने के लिये मानक एवं दरों का निर्धारण किया गया है। उक्त प्राविधानों के अनुसार सूखे से प्रभावित बुन्देलखण्ड के जनपदों के प्रभावित परिवारों को जीवन निर्वाह हेतु अहेतुक सहायता (खाद्यान्न) वितरण कराया जा रहा है।

2- जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा यमुना पार क्षेत्र के विकास खण्डों के कुल 41358 सूखाग्रस्त अन्त्योदय परिवारों, जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा यमुना पट्टी के वारानी क्षेत्र के सूखाग्रस्त 06 विकास खण्डों के 14770 अन्त्योदय परिवारों, जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा सूखा से प्रभावित कुल 23151 अन्त्योदय परिवारों तथा जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा सूखा से प्रभावित कुल 60588 अन्त्योदय परिवारों (कार्ड धारकों) में बुन्देलखण्ड की भाँति अहेतुक सहायता (खाद्यान्न) उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित जनपदों के द्वारा प्रेषित अन्त्योदय परिवारों में से ऐसे अन्त्योदय परिवारों को जिनकी आजीविका सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है, के जीवन निर्वाह के लिए निम्नानुसार खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (1) अन्त्योदय परिवारों में जो भारत सरकार के आदेश संख्या-32-7/2014-एनडीएम-प्रथम, दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जिन परिवारों की आजीविका प्राकृतिक आपदा (सूखा) से गम्भीर रूप से प्रभावित हुयी है उन परिवारों को 10 किग्रा आटा, 10 किग्रा चावल, 05 किग्रा चने की दाल, 25 किग्रा आलू, 05 ली० सरसो का तेल, 01 किग्रा शुद्ध देशी घी तथा बच्चों के लिये प्रति परिवार 01 किग्रा मिल्क पाउडर, 01 किग्रा चीनी, 01 किग्रा आयोडीन युक्त नमक तथा 200 ग्राम हल्दी राहत सामग्री के रूप में 30 दिन तक वितरित करायी जाय।

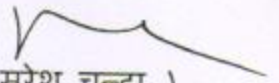
- (2) प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सामग्री को ऐसे पैकेट में रखकर वितरित कराया जाय जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो तथा सुरक्षित रहे।
- (3) शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा राहत समिति द्वारा राहत सामग्री क्रय करके सूखा प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करायी जायेगी। क्रय करने में वित्तीय नियमों एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) राहत सामग्री के क्रय किये जाने में सामग्री की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
- (5) प्रथमतः इस व्यवस्था को 30 दिन के लिए लागू किया जाय।
- (6) वितरित की गयी राहत सामग्री तथा प्रभावित परिवार (जिन्हें राहत सामग्री प्रदान की गयी है) का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा।
- (7) राहत के रूप में वितरित की जाने वाली कर योग्य वस्तुओं पर देय वैट से कर मुक्त कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश वाणिज्यकर विभाग द्वारा अलग से निर्गत किया जा रहा है।

4- राहत सामग्री का गांव स्तर पर वितरण जिलाधिकारी के निर्देशन में उनके द्वारा नामित जिला स्तरीय राजस्व/विकास एवं अन्य विभागीय अधिकारियों की देख-रेख में किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारीगणों द्वारा सूखा से प्रभावित परिवारों को यह राहत सामग्री का वितरण कराया जायेगा।

5- खाद्यान्न वितरण हेतु सूखा प्रभावित परिवारों में से पात्र परिवारों के चयन में भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.04.2015 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों, भारत सरकार द्वारा निर्गत सूखा मैनुअल-2009 में उल्लिखित मापदण्डों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि शासन द्वारा खाद्य वितरण के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या:- 68 (1)/1-10-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं व्यापार कर विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।

- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यूपी.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

सचिव एवं राहत आयुक्त ।